

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, हल्द्वानी

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी - काठगोदाम- चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्य नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण

वन राजि -

1. किशनपुर 2. नंधौर

वन प्रभाग का नाम -

पूर्वी तराई वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रस्तावित क्षेत्रफल -

आरक्षित वन भूमि

एवं

वन राजि -

2. छकाता

वन प्रभाग का नाम -

हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

प्रस्तावित क्षेत्रफल -

आरक्षित वन भूमि

जनपद -

नैनीताल।

कुल क्षेत्रफल - ०.५६ हैक्टेयर (आरक्षित वन भूमि)।

rediffmail

Mailbox of ee_ndhal

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Sat, 28 Apr 2018 16:25:55

To: ee_ndhal@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in, monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below has been successfully uploaded on the portal of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.

1. Proposal No. : FPI/UK/ROAD/33368/2018
2. Proposal Name : S.H- 41, K.M. 80.00, 100 Mtr Spean Bridge & Aproch
3. Category of the Proposal : Road
4. Date of Submission : 28/04/2018
5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: Ranjeet
Mobile No.	: 8393821705
State	: Uttarakhand
District	: Nainital
Pincode	: 263139
6. Area Applied (ha.) : 0.46

The proposal will be examined by the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980 to assess its completeness.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्र/सूचनाएं

1.	विषय सूची	①-⑤
2.	प्रतिवेदन	2
3.	भारत सरकार के प्रपत्र	3 से 11
4.	परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति	12 से 15
5.	1:50,000 पैमाने का मानचित्र, जिस पर परियोजना को दिखाया गया हो	16 से 19
6.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	20 से 21
7.	प्रभागीय वनाधिकारी की निर्धारित प्रपत्र पर स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (SIR)	22 से 30
8.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता होने का प्रमाण पत्र	31
9.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र	32
10.	प्रभावित भूमि का लैंड शेड्यूल	33 से 34
11.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई (यदि लागू हो)	35
12.	बार चार्ट (यदि लागू हो)	36
13.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र	37
14.	प्रभावित वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार/मूल्यांकन का विवरण/पेड़ों का प्रजातिवार सारांश	38 से 44
15.	परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों एवं वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण	45
16.	बोंज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में वन संरक्षक का प्रमाण पत्र	46 से 47
17.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	48
18.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र	49 से 51
19.	ग्राम सभा का प्रमाण पत्र	52 से 57
20.	परियोजना के विभिन्न निर्माण कार्यों का मदवार विवरण (यदि लागू हो)	
21.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान (यदि लागू हो)	
22.	भू-वैज्ञानिक की आख्या	58 से 61
23.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र	62
24.	टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण पत्र	63 से 64
25.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र	65 से 67
26.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र	68
27.	वन्य जीवों/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र	69
28.	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र	70
29.	पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	71
30.	प्रस्ताव स्थल विशिष्ट होने का प्रमाण पत्र	72
31.	वन भूमि का मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	73
32.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सप्तवर्षीय योजना का ऑकलन	74 से 76
33.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का मानचित्र डी0एस0आर0 से सहित	

34. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र
35. ~~क्षतिपूर्क वृक्षारोपण~~ वृक्षारोपण का प्राक्कलन (यदि लागू हो)
36. एनओपीओ की देयता का प्रमाण पत्र
37. एनओपीओ का आंकलन का प्रमाण पत्र
38. दस गुना लगाये जाने वाले पेड़ों का पंचवर्षीय रख-रखाव सहित प्राक्कलन (यदि लागू हो)
39. वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने का प्रमाण पत्र
40. मऊ डिस्पोजल की योजना मय मानचित्र
41. मऊ डिस्पोजल की योजना
42. लीज अवधि का प्रमाण पत्र
43. लीज नवीनीकरण के मामलों में लीज स्वीकृति का शासनादेश/वारिस का न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र/पूर्व में वसूल किया गया वन भूमि का मूल्य/लीज रेंट
44. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विवरण (यदि लागू हो)
45. क्रियान्वयन अनुबन्ध/डीओपीओआरओ
46. केन्द्र सरकार के विभागों/निजी व्यक्तियों के पाँच हे० से अधिक क्षेत्रफल के मामलों में उच्चस्तरीय समिति का अनुमोदन
47. परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा जलौनी लकड़ी/कुंकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र
48. एफओआरओ

① ②
77
78 से 101
102
103 से 105
—
109
108
—
110
111
—
112
113 से 115



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल- 263002



Office of the Superintending Engineer, 2nd Circle, P.W.D., Nainital -263002
Phone/ Fax:- 05942-235728/ 232030

E-mail: sepwdnti@rediffmail.com

L.N. - 4999 / SE Camp - 2/2014

Dated 8-12-14

Authority letter

Mr. Ranjeet Singh, Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Haldwani (Nainital) is hereby authorized for online submission of Forest proposal on behalf of User Agency.

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

8/12/14
(V.N. Tiwari)

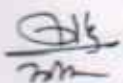
Superintending Engineer
2nd Circle, P.W.D. Nainital

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी-हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5261/111(2)/12-(प्रा०आ०)/12 दिनांक 19.10.2012 द्वारा रु० 13.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है (फोटोप्रति प्रस्ताव में संलग्न है) इस सेतु एवं उसके पहुँच मार्ग के निर्माण से हल्द्वानी शहर, गोलापार क्षेत्र, चोरगलिया, सितारगंज की जनता को प्रत्येक मोसम में विशेषकर वर्षा काल में उक्त नदी/नाले में बाढ़ आदि आने पर यातायात में सुविधा होगी जिससे स्थानीय जनता (कृषकों) औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल सितारगंज व हल्द्वानी को वाहनो के आवागमन में सुविधा रहेगी ओर स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार सृजित होगा।


अध्यक्ष आभयसहा
विशेष सचिव, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


बाधशाही आभयसहा
नगर सचिव, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 5261/111(2)/12-प्रा०आ०/12 दिनांक 19.10.2012 द्वारा ₹ 13.48 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त परियोजना निर्माण से इस स्थल पर प्रत्येक मोसम में वाहनो का आवागमन सुचारु रूप से बना रहेगा क्योंकि विगत वर्षो उक्त नदी में बाढ़ आने के कारण वाहनो का आवागमन बाधित रहता रहा एवं कुछ वाहनो के बहने की खबरे भी आई है अब सितारगंज सिडकुल एवं हल्द्वानी का सम्पर्क मार्ग होने के कारण भी इस नाले पर सेतु की आवश्यकता एवं मांग स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है। उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है परियोजना निर्माण से स्थानीय कृषको व सिडकुल सितारगंज को जाने एवं आने वाले वाहनो को प्रत्येक मौसम में सुविधा रहेगी। उक्त परियोजना का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है ओर यह क्षेत्र वन भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत है, उक्त परियोजना हेतु आवेदित 0.44 हैक्टर वन भूमि की आवश्यकता का औचित्य उचित है। अतः परियोजना हेतु आवेदित 0.44 हैक्टर वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करे।

सहायक अभियन्ता
निर्माण, नो० नि० वि०
एन्डो (नवीधाम)

सहायक अभियन्ता
निर्माण, नो० नि० वि०
एन्डो (नवीधाम)

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

संलग्न प्रपत्र 1 में।

ख) 150,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न प्रपत्र 6 में।

ग) परियोजना की लागत।

रु० 13.48 लाख।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के
कारण (संलग्न जिलाधिकारी का प्रमाण-
पत्र प्रपत्र 10 में।

2. लागत लाभ विश्लेषण :-

लागू नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।

निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को
प्रत्यक्ष रोजगार एवं भविष्य में अप्रत्यक्ष
रोजगार मिलेगा।

3. कुल आपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।

कुल आपेक्षित भूमि में जनपद नैनीताल के
विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत
रामनगर-कालाबुँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-
चौरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग
के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर
स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु
व पहुँच मार्ग का निर्माण।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

शून्य।

क) परिवारों की संख्या

शून्य।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

शून्य।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं)-नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता
(वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न प्रपत्र 29 में।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

संलग्न अनुसूची के अनुसार।

दिनांक 14-12-2014

स्थान- हल्द्वानी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(ई० रणजीत सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)।

CR

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या-

7. परियोजना/स्कीम का स्थान-	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के किशनपुर राजि के अन्तर्गत किशनपुर वन ब्लॉक कक्ष सं०-1 व 2 में प्रस्तावित है।
i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड।
ii) जिला	नैनीताल।
iii) वन प्रभाग	तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	0.32 है०
v) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन क्षेत्र।
vi) हरियाली का घनत्व	0 - 0.10
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।	संलग्न।
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	संलग्न।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन की सीमा पर स्थित है।
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	शिवालिक ऐलीफैंट रिजर्व के अन्तर्गत घोषित हैं। (प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणी संलग्न है।)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।
8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	संलग्न।
9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा-

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

प्रस्तावित वन भूमि 1 है० से कम है अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण वृक्षारोपण योजना संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत बाचा आदि।

iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

3422.00 है०

i. जिला का वन क्षेत्र।

3096.72 है०

ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

42 मामले, 463.8992 है०

iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

658.377 है०

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2013-14 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

57.682 है०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

(स्वीकृति हेतु प्रेषित)

दिनांक- 21.12.2014

स्थान- हल्द्वानी।

नाम-(डॉ० पराग मुखर्जी धकाते)

प्रभागीय वनाधिकारी

नराई पूर्वी वन प्रभाग

हल्द्वानी.

7 परियोजना/स्कीम का स्थान - जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढुंगी- हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के किमी0 80 सूर्यानाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7अ व 8स में।

- | | | | |
|-------|---|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| ii) | ज़िला | - | नैनीताल |
| iii) | वन प्रभाग | - | हल्द्वानी वन प्रभाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - | 0.14 है0 (आरक्षित भूमि) |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | - | आरक्षित |
| vi) | हरियाली का घनत्व | - | 0.00-0.10 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | - | संलग्न किया |
| viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तहहटी पर सूर्यानाला से लगा हुआ है। सूर्यानाला से लगा होने के कारण क्षेत्र भू-क्षरण के लिए संवेदनशील है। क्षेत्र वन-भूमि से लगा हुआ है। |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | - | सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। उक्त क्षेत्र छकाता राजि के अन्तर्गत डोलपोखरा कक्ष सं0 7अ व 8स में स्थित है। |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | - | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | नहीं |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | - | संलग्न है। |

9- क्या अधिनियम के उत्सर्जन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उत्सर्जन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

I. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

II. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

III. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

IV. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

V. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

प्रस्तावित वन भूमि 1.00 है० से कम है। अतः
→ क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12. प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल)

ii. जिला/प्रभाग का वन क्षेत्र।

4251.00 वर्ग किमी०

हल्द्वानी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है।

1- जनपद नैनीताल- 47808.62 है०

2- जनपद चम्पावत- 15651.38 है०

कुल योग- 63460.00 है०

iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

30 मामलें व 367.184 है०

iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

90.972 है० व 2 रो० कि०मी०

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित

(ख) वनेत्तर भूमि पर 2013-14 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी०

(क) वन भूमि पर - 90.972 है० व 2 रो० कि०मी०

(ख) वनेत्तर भूमि पर -

13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रसारित अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 26/12/14

स्थान Haldwani

हस्ताक्षर

नाम - (डा० सी० एस० सनवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी मोहर हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

जहाँ,

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ,

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभाग प्रमुख वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग के आस्था रिपोर्ट अनुसार अग्रोन्तर आयुषी हल्द्वानी

तिथि 27/12/14

स्थान हल्द्वानी

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम पश्चिमी वृत्त
सरकारी मोहर उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
वा अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।


अध्यापक श्रीमद. श्रीम.
विजयी अग्रवाल, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


आध्यापक श्रीमद. श्रीम.
विजयी अग्रवाल, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जा रही है।


अध्यापक, नैनीताल
विभाग्य अर्थ, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


आध्यापक, नैनीताल
विभाग्य अर्थ, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

संख्या-5261/111(2)/12-06(प्र0आ0)/2012

धीरेन्द्र सिंह बताल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 19 अक्टूबर, 2012

विषय:- जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-लाल कुआँ/सितारगंज हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न 03 कार्यों की व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0:- 2487/111(2)/12-06(प्र0आ0)/2012 दिनांक 08 जून, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल/उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-लाल कुआँ/सितारगंज के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों हेतु प्रस्तुत प्रथम चरण के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 31.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति द्वारा प्रदान की गई है।

उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08 जून, 2012 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार स्वीकृत 03 कार्यों की अनुमोदित लागत ₹ 31.28 लाख (₹ इक्कतीस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक के कॉलम सं0-6 पर उल्लिखित विवरणानुसार, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश सं0:- 2487/111(2)/12-06(प्र0आ0)/2012 दिनांक 08 जून, 2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 अंशिला तथा अन्य सड़क आयोजनागत-800 अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाल जायेगा।

3- यह आवेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 494(A)/XXVII(2)/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

भारतीय

(धीरेन्द्र सिंह बताल
उप सचिव

-3-

संस्कृत सं-526/111(2)/12-06(प्रौआ0)/2012 दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का संलग्नक

धनराशि लाख ₹ में

	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० वित्त द्वारा आंकलित धनराशि।	चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि।
	2	3	4	5
	जनपद उधमसिंहगढ़ के विधानसभा क्षेत्र-सितारगंज के अन्तर्गत दोहा मोड़ से कटना नदी के उस पार तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण-एवं सुधार कार्य 24 मी० स्पान सेतु सहित।	1.50 km + 24 mt span bridge	1.92	0.10
02	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 82 सूर्य नदी (शेर नाला) में 120 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु का निर्माण कार्य।	120मी०	15.88	0.10
03	जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्य नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु का निर्माण।	100मी०	13.48	0.10
	योग:-	1.50 + 03 bridge	31.28	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(धीरेन्द्र सिंह दत्ताल)
उप सचिव

-2-

/ H(2) / 12-06(प्रो.आप) / 2012 तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासेवाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी जनपद उधमसिंहनगर / नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / उधमसिंहनगर / नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय / चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल / हल्द्वानी।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1 / 3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Photo Copy Attested

(Signature)

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(धीरेन्द्र सिंह बताल)

उप सचिव

प्रपत्र-6

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र
संलग्न है।

  
अध्यक्ष अभियन्ता,
विभाग सड़क, सो०नि०वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधिसूचक अभियन्ता,
विभाग सड़क, सो० नि० वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)

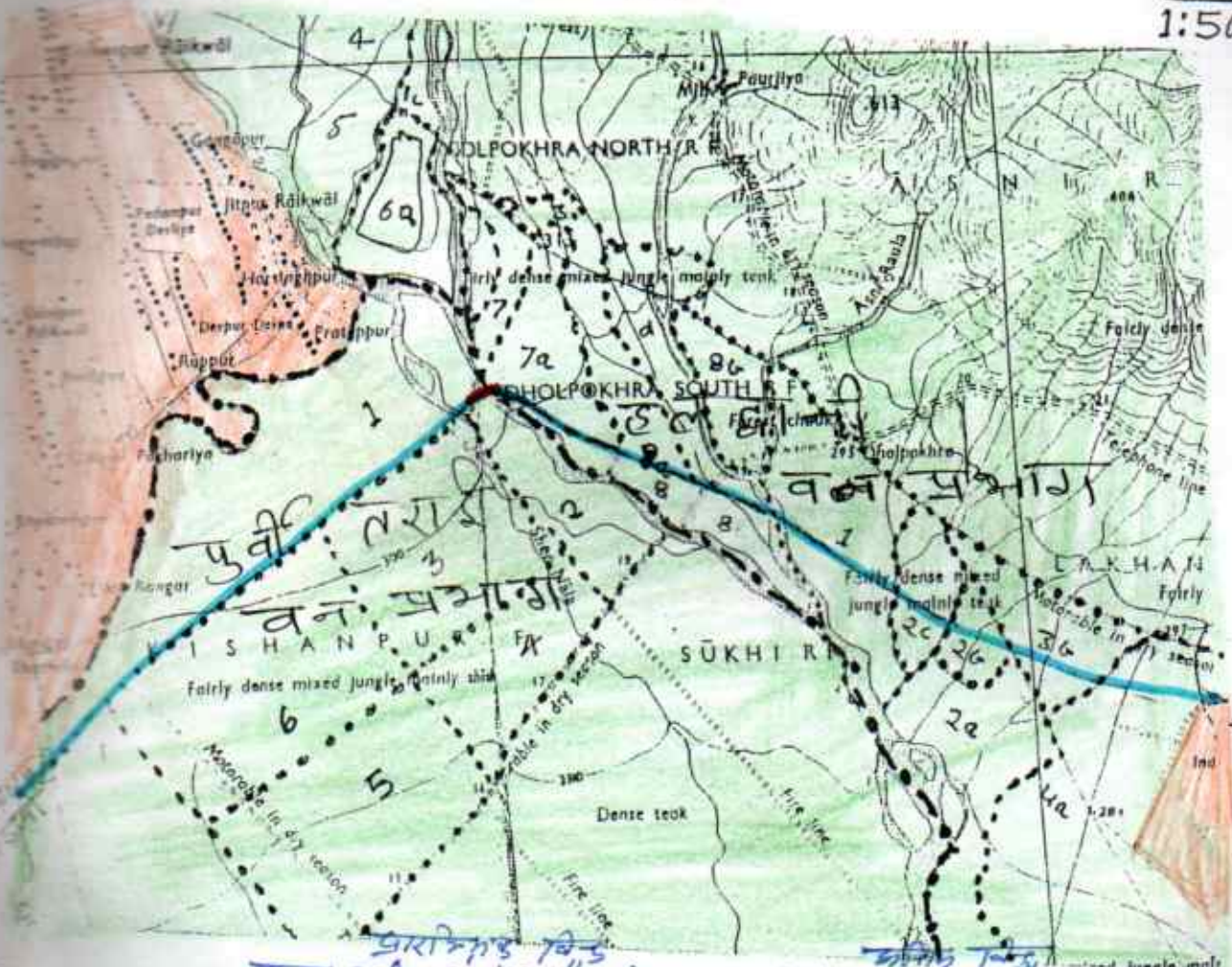
कोटा का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र - लालकुवाँ के अन्तर्गत रामनगर - कालाहूमी
 हल्द्वानी - काहनादास - चौरगलिया - सिताछांज - बिजवी राज्य भाग के फिरोज 80 सुमी जाला
 के 100मी स्पान के डार 20 सी० सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु व पट्टन भाग का निर्माण ।
 खण्ड का नाम :- सिम्रान खण्ड लो० नि० वि० हल्द्वानी (नैनीताल)

वन ब्लॉक 1 व 2 विधान पुर शक्ति
 वन प्रभाग - पूर्वी तराई वन प्रभाग
 हल्द्वानी ।

वन ब्लाक :- डोल पोरवरा कक्ष सं० 7 अ
 द; खाता राखि
 वन प्रभाग :- हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी ।

जनपद :- नैनीताल

स्केल
 1:50000



REFERENCE उत्तर 29° 08' 42.4" दक्षिण
 पूर्व 79° 39' 49.6" दक्षिण

उत्तर 29° 08' 43.9" दक्षिण
 पूर्व 79° 37' 53.2" दक्षिण

- FOREST BLOCK BOUNDARY [---]
- COMPHRT BOUNDRY []
- PROPOSED AREA []
- CIVIL LAND []
- P.W.D. ROAD []
- RESERVE FOREST []
- FOREST DIVISION BOUNDRY []

वहायक कमिश्नर
 सिम्रान खण्ड, लो० नि० वि०
 हल्द्वानी (बेनोताल)
 बरिष्ठता कमिश्नर
 सिम्रान खण्ड, लो० नि० वि०
 हल्द्वानी (बेनोताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
 हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

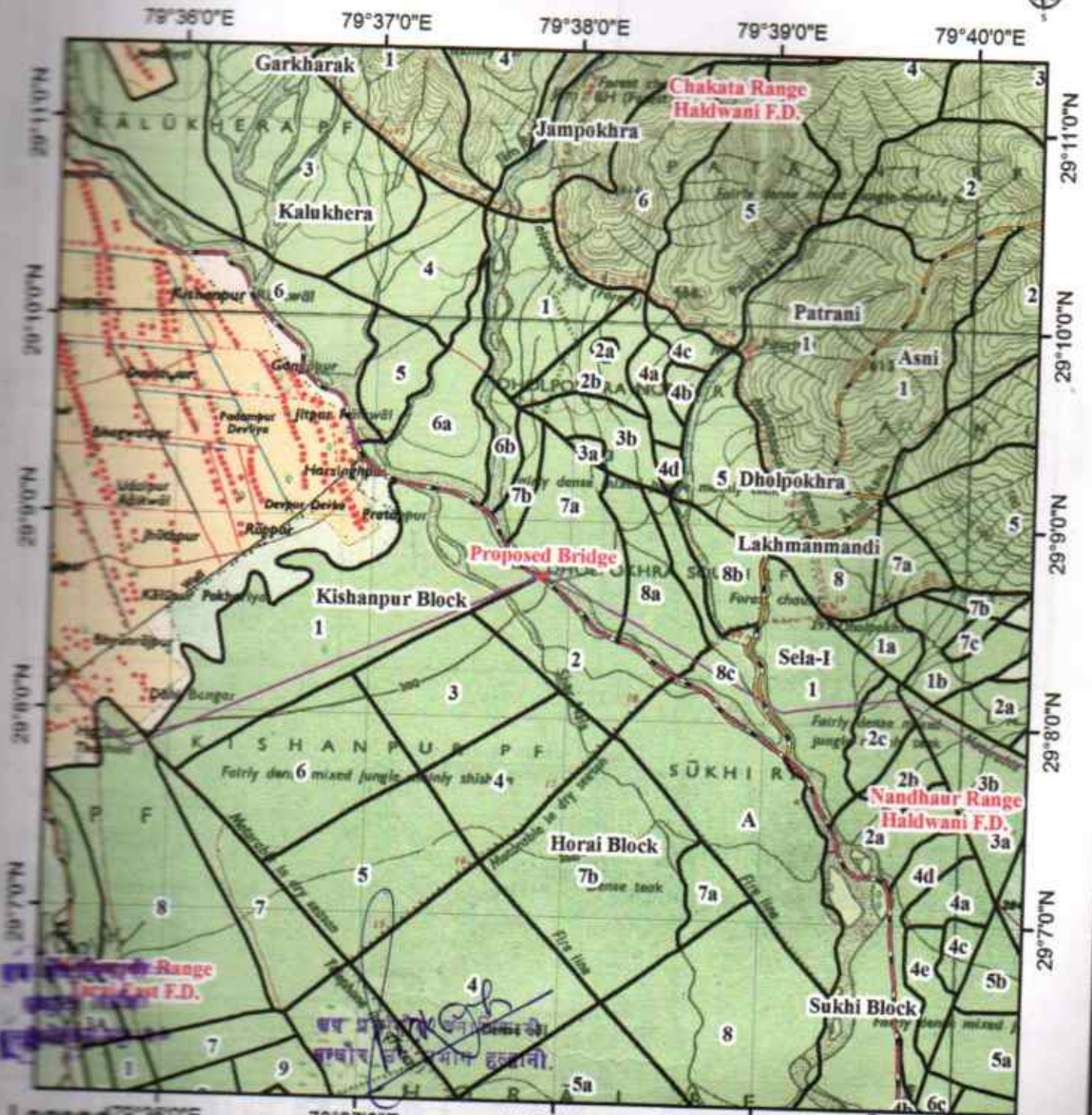
Sub Divisional Magistrate
 HALDWAN (Nainital)
 Uttarakhand

वहायक प्रभागीय वनाधिकारी
 (मोना)
 वहायक पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

जिलाधिकारी
 बेनोताल

डिजिटल मैप :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुगी-हल्द्व नी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80.00 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

0 0.5 1 Km



Legend

- Proposed Bridge
- Approach Road
- Existing Road
- Division Boundary
- Forest Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area

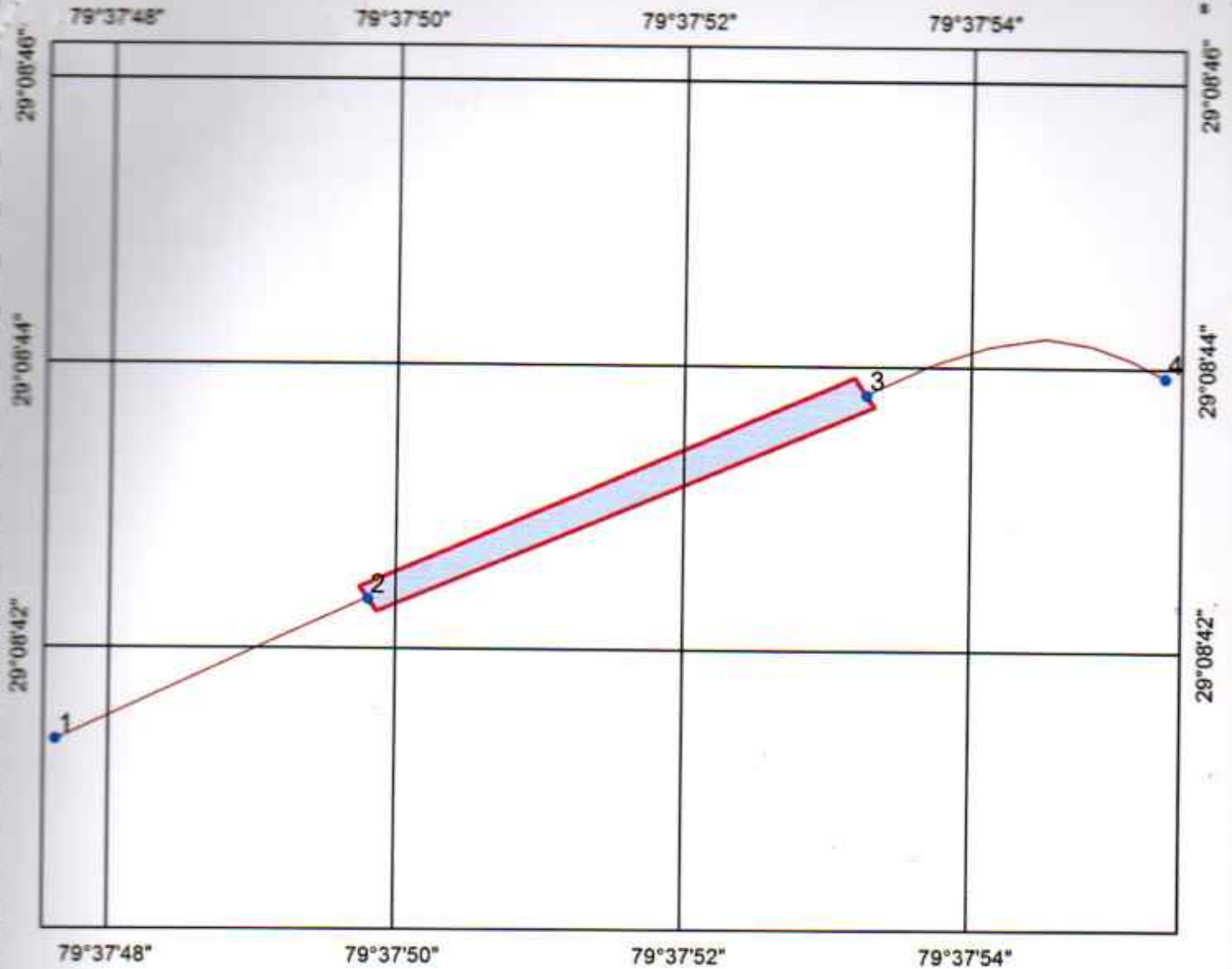
ब्रह्मगीय वनाधिकारी
हराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

ब्रह्मगीय वनाधिकारी
(गोला)
ब्रह्मगीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

ब्रह्मगीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

विशेष नोट:- जनपद नैनीताल के जिला सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चारगलियों-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80 सुर्वा नाला में नै 100 मी स्पां के आरु सी0 सी0 ग्रीस्ट्रड कांसीट सेतु व पहुच मार्ग का निर्माण।



Legend

- GPS_Points
- Road
- ▭ Proposed_Bridge

0.000 0.015 0.030 0.045
km

ID	Longitude	Latitude
1	79°37'47.66"E	29° 8'41.36"N
2	79°37'49.81"E	29° 8'42.35"N
3	79°37'53.27"E	29° 8'43.80"N
4	79°37'55.35"E	29° 8'43.93"N

उप प्रभाषीय बनाधिकारी
(मोला)
बराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

उपभाषीय बनाधिकारी
बराई पूर्व वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप क्षेत्राधिकारी
विश पुर
बराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उपभाषीय बनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

Shalini khatun
वन क्षेत्राधिकारी
छाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

उप प्रभाषीय बनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण कार्य, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)
(संलग्न है)

सत्यमेव जयते ॥

द्वितीयः अष्टः, श्री० नि० वि०

इसद्वारा (संजीवनी)

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

21

जनपद नैनीताल में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 52651/111-(2)/12-(प्रशोआ0)/2012 दिनांक 19.10.2012 द्वारा रु0 13.48 लाख की स्वीकृति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज बिजटी राज्य मार्ग के किमी0 80 में सूर्यानाला में 100 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 प्रिस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग निर्माण हेतु समरेखन के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जाने वाली प्रस्तावित की जाने वाली वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण प्रयोक्ता एजेन्सी/लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 हल्द्वानी एवं उत्तराखण्ड वन विभाग के हल्द्वानी वनप्रभाग हल्द्वानी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 28.01.2014 को किया गया।

समरेखन हेतु अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया परन्तु इस समरेखन के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रस्तावित समरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की सं029.... है।

प्रस्तावित समरेखन में कोई धार्मिक ऐतिहासिक एवं ऐसे कोई सामाजिक स्थान प्रभावित नहीं होते हैं जिनसे जनता में प्रतिकूल असर/प्रभाव पड़े।

प्रस्तावित समरेखन में निर्माण हेतु 0.46 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि (0.32 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि किशनपुर वन ब्लॉक कक्ष संख्या 1 व 2, किशनपुर राजि0 पूर्वी तराई वनप्रभाग हल्द्वानी, 0.14 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि डोलपोखरा कक्ष संख्या 7 अछःखाता राजि0 हल्द्वानी वनप्रभाग हल्द्वानी) प्रस्तावित समरेखन में पड़ती है जिसकी प्रयोक्ता विभाग लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को उक्त कार्य निर्माण हेतु आवश्यकता है।

संयुक्त निरीक्षण में निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

(ललित चन्द्र जोशी)
वन रक्षक
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

(भवानी दत्त काण्डपाल)
वन दरोगा
पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी।

(जसवंत सिंह)
अमीन
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

(ललित मोहन पाण्डे)
वन दरोगा
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

(लक्ष्मण सिंह मुर्तोन्जिया)
वन क्षेत्राधिकारी किशनपुर राजि0
पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी।

(सुरेश चन्द्र पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

(सुनील कुमार गरोला)
वन क्षेत्राधिकारी छःखाता राजि0
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

(नवीन चन्द्र पन्त)
उप प्रभागीय वनाधिकारी (गौला)
पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी।

(सुरेश चन्द्र पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
हल्द्वानी।

(प्रकाश चन्द्र आर्या)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

(सुनील कुमार गरोला)
वन क्षेत्राधिकारी छःखाता राजि0
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from P.W.D. for diversion under FCA-1980) of 0.032 ha. of forest land non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for R.C.C Bridge. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated - 10-10-2014

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.32 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of- NIL

Whether protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required- NIL

☒ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

☒ b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

(Signature)

Place- Haldwani

Date- 21.12.2014

Name- Dr. P.M. Dhakate

Designation- D.F.O.

Office Seal प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per latter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forest is required.

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.1 A proposal has been received by this office from P.W.D. Haldwani.....for diversion under FCA-1980) of 0.14 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of 1 km. S. pin. B.C.C. bridge. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated...22/12/2014
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring....0.14.....ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- NIL
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NIL
- ☒ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- ☒ b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.
- Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place: Haldwani
Date: 22/12/2014

(Signature)

Name: Dr. C.S. Sanwal
Designation: प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी
Office Seal

- N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, हल्द्वानी

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.46 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.46 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील हल्द्वानी) की दिनांक 7-11-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हरबीर सिंह, उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हरबीर सिंह उपजिलाधिकारी हल्द्वानी (अध्यक्ष)
- 2- श्री नवीन चन्द्र पन्त उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला पूर्वी तराई वनप्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)
- 3- श्री श्री के०आर० टम्टा सहायक समाज कल्याण अधिकारी हल्द्वानी (सदस्य/सचिव)
- 4- श्रीमती निर्मला जोशी बी०डी०ओ० क्षेत्र हल्द्वानी (सदस्य)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

पंकज बेजेठा

सदस्य क्षेत्र पंचायत

01-साखी मण्डा

खण्ड विकास अधिकारी

हल्द्वानी (नैनीताल)

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक स्वगत करत हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर- कालादूंगी- हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.46 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आ०सी०सी०ग्रीस्ट्रैड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.46 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-हल्द्वानी
जनपद-नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-हल्द्वानी
जनपद-नैनीताल

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के 0.46 है० आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 0.46 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति हल्द्वानी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2008 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


ह०/-
जिलाधिकारी
Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.


जिलाधिकारी
नैनीताल.

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित — जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु 0.46 है० वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, चारेपन लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को इन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.

ह०/-
जिलाधिकारी


जिलाधिकारी
नैनीताल



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM - 1
(for Linear projects)
Office of the District Collector - Nainital

No. 42

Dated 28-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no 11-9/98 & FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dates 5th February 2013 whereing MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Haldwani. (name of user agency) for Construction of Janpad Nainital ke Vidhan Sabha Khastra Lalkuan ke antargat Ramnagar-Kaladhungi-Haldwani-Kathgodam-Chorgalia-Sitarganj-Vijit Rajya Marg ke Km 80 Surya Nala me 100 mtr. Span ke R.C.C. Pre-Stared Concrete Satu wa Pauch Marg ka Nirman (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Khera, Nawarkhera, Devla talla Pajaya, Devla Malla, Devla Talla Simlar, Kuwarpur, Lakhanmandi, Malla Pachaunia, Tall Pachaunia, Nayagaon Katan, Inderpur, Gangapur, Ummadpur, Jaipur Kholia, Sitapur, Madanpur, Devpur Devka, Basantpur, Ratanpur Negi, Udaypur Rakwal, Bhushapur, Dharampur, Devpur dani, Trilokpur dani, Haripur Tatola, Baskhera Ishwaridutt, Shelabhawar Trilok Singh, Shelabhawar Mehar Singh, Vijaypur, Jagatpur villages in Haldwani tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure -1 to annexure -42.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribes Group and pre-agricultural communities.

Encl : As above.

Signature

(Sri Deepak Rawat)
District Collector, Nainital

जिलाधिकारी
नैनीताल.

प्रारूप - 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 7-11-14...at time...11.30.....at Surya Nala in which application claiming rights in 4600 Sq. Meter /area measuring 0.46 hect. for the construction of Construction of Janpad Nainital ke Vidhan Sabha Khastra Lalkuan ke antargat Ramnagar-Kaladhungi-Haldwani-Kathgodam-Chorgalia-Sitarganj-Vijit Rajya Marg ke Km 80 Surya Nala me 100 mtr. Span ke R.C.C. Pre-Stared Concrete Satu wa Pauch Marg ka Nirman forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Nainital

Dated28-12-2014

Deputy Commissioner cum chairman

District Level Committee

जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत समनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण -पत्र

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	सेतु व पहुँच मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.46 हे०	29	230 मी०	
संरेखण-2	—	—	—	—
संरेखण-3	—	—	—	—

चयनित समरेखण ही एक मात्र प्रथम व अंतिम समरेखण है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व से निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।


न्यायिक अधिकारी
विनोद खन्ना, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

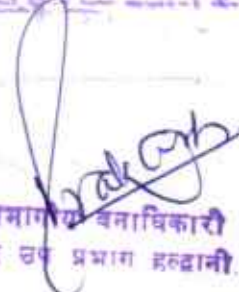

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी,


अधिसूचना अधिकारी
विनोद खन्ना, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


वन अधिकारी
विनोद खन्ना
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोवा)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी,


उप वनाधिकारी
विनोद खन्ना
हल्द्वानी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
विनोद खन्ना वन प्रभाग हल्द्वानी,


प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-10

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

(प्रमाण पत्र संलग्न है)

 
न्यायिक अधिकारी
विभाग, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

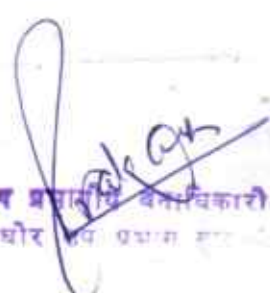

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


न्यायिक अधिकारी
विभाग, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


वन क्षेत्र अधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन प्रभाग वनाधिकारी (गोवा)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


प्रभागीय वनाधिकारी
काता राज
हल्द्वानी वन प्रभाग


वन प्रभाग वनाधिकारी
गंधोर वन प्रभाग

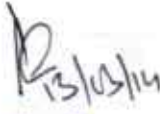

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर-
जुतादुंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्य
माला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.46 है० वनभूमि की माँग न्यूनतम है।
इससे कम में वनभूमि पर परियोजना का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।


नहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (बेनीताल)


बधिकाही अभियन्ता
विभाग खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (बेनीताल)


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


म.प्र.नि.रा.प्र.प्र.प्र.
01/04/2014

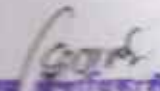

निरीक्षक
जन काठगोदाम


514


Sub Divisional Magistrate
HALDWAN - NI (Nainital)
Uttarakhand.


वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी,


वन क्षेत्राधिकारी
काठगोदाम राबि
हल्द्वानी वन प्रभाग.


उप प्रभागीय वनाधिकारी
बन्धोर उप प्रभाग हल्द्वानी


प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


विलाधिकारी
बेनीताल.

प्रपत्र-11

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
नैनीताल	पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी	किशनपुर	ब्लॉक सं०-1	160	10	0.16
			ब्लॉक सं०-2	160	10	0.16
नैनीताल	हल्द्वानी वन प्रभाग	1.अमरगढ़	डोलरोवरा ब्लॉक-73	70	10	0.07
			डोलरोवरा ब्लॉक-8	70	10	0.07
योग	-	-	-	-	-	0.46

अध्यक्ष अभियन्ता
समिति अण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

अध्यक्ष अभियन्ता
समिति अण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
हल्द्वानी पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

अध्यक्ष अभियन्ता
समिति अण्ड, जो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन प्रभागीय वनाधिकारी
रमधौर वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

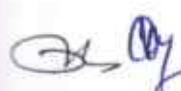
परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेंड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।
लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र।

भूमि की श्रेणी :-

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)

शून्य


न्यायिक अधिकारी
जनपद नैनीताल, को० वि० चि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


न्यायिक अधिकारी
जनपद नैनीताल, को० वि० चि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.


जिलाधिकारी
नैनीताल.

परियोजना का नाम- जंनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादुँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

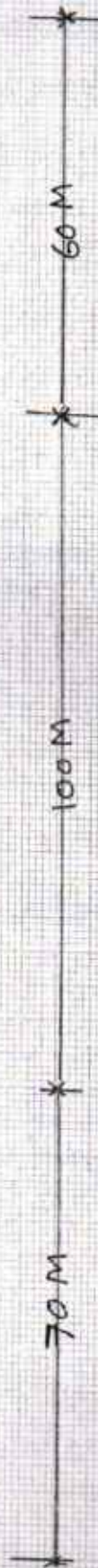
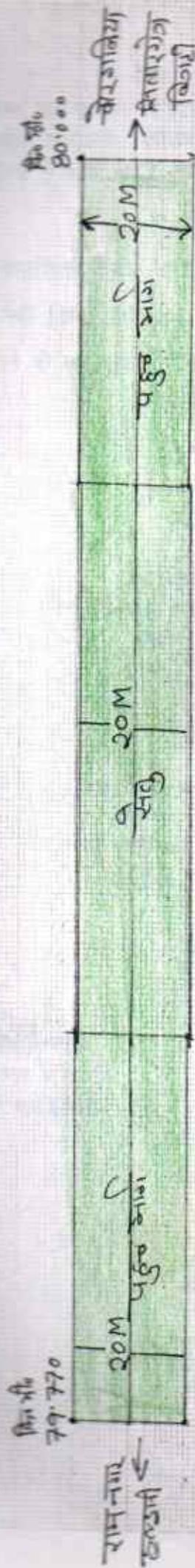
क्र० सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	
1	आरक्षित वन भूमि	230	20	0.46	
2	सिविल सोयम भूमि	—	—	—	
3	वन पंचायत भूमि	—	—	—	
	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	—	—	—	
	वन भूमि का योग	220	20	0.44	
4	नाप भूमि	—	—	—	
	कुल योग-	—	—	0.44	

He
Op
उद्देश्य जलियम
सिमाधि सचिव, भौ० नि० शि०
वस्त्रानो (नैनीताल)

le
वाधवासी जलियम
सिमाधि सचिव, भौ० नि० शि०
वस्त्रानो (नैनीताल)

प्रपत्र-13
बार चार्ट

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-शोरगलिया-शितारगंज विजटी राज्य मार्ग कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।



वन विभाग
विशेष पुर
तराई पुर वन प्रभाग
हल्द्वानी

वन विभाग
विशेष पुर
तराई पुर वन प्रभाग
हल्द्वानी

वन विभाग
विशेष पुर
तराई पुर वन प्रभाग
हल्द्वानी

वन विभाग
विशेष पुर
तराई पुर वन प्रभाग
हल्द्वानी

वन विभाग
विशेष पुर
तराई पुर वन प्रभाग
हल्द्वानी

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल है० मी०
आरक्षित वन भूमि		0.46
सिविल एवं सोयम भूमि		
वन पंचयत भूमि		
नाप भूमि		

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-काताईगंजी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्य नाता में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अज्ञात अभियन्ता
विर्माश सड्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अज्ञात अभियन्ता
विर्माश सड्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन क्षेत्र अधिकारी
विष्णुपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्र अधिकारी
छाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग.

वन प्रभागीय वनाधिकारी
नन्धोद उप प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रपत्र - 15

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादुर्गी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 0.80 दूरवाला में 100 मीटर स्थान के आर0सी0सी0ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण।

आरक्षित वृक्ष अति धर

क्र० सं०	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेन्ट	प्रजाति	व्यास श्रेणी (सेमी०मी०)							योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर	
1.	किशनपुर कक्ष सं० 1ब	शीशम सूखा	—	1	—	—	—	—	—	1
2.		कज्जु हरा	—	1	1	—	—	—	—	2
3.		कज्जु सूखा	—	—	—	—	—	1	—	1
4.		कोकाट	—	1	—	—	—	—	—	1
5.	किशनपुर कक्ष सं० 2	शीशम सूखा	—	—	1	—	—	—	—	1
6.		कज्जु हरा	—	1	5	1	—	—	—	7
7.		रोहनी हरा	2	—	—	—	—	—	—	2
योग			2	4	7	1	—	1	—	15

सब प्रभागीय वनाधिकारी -
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी- चोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण के सररेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची।

स्वीकृत वन अधिकार

छकाता राजि

हल्द्वानी वन प्रभाग

वर्ष:- 2014-15

सूर्यानाला

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग							योग
			0-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डोलपोखरा कक्ष सं० 7 व 8	अमलतास	—	—	1	—	—	—	—	1
2		जामुन	—	—	—	—	1	—	—	1
3		रोहनी	—	3	2	—	—	—	—	5
4		खोदा	—	—	—	—	—	1	—	1
5		साल	—	—	1	—	1	—	3	5
6		धौड़ी	—	—	—	—	1	—	—	1
योग:—			—	3	4	—	3	1	3	14

Gandhi
वन अधिकारी
छकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग,

Prakash
वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी

a
प्रभासीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादुर्गी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाता में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
			—	—	रिक्त	—	—	—	—	—	—	

ह०/-

तहसीलदार/उप जिलाधिकारी

ह०/-

राजि अधिकारी

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-
तहसीलदार

ह०/-
(राजि अधिकारी)

ह०/-
(प्रभागीय वनाधिकारी)

ह०/-
(सरपंच)



परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-
कालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूबा नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90 से अधिक	
			— रिक्त —								

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-
तहसीलदार

ह०/-
(राजि अधिकारी)

ह०/-
(प्रभागीय वनाधिकारी)

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नात्वा में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रिस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	-	3	4	-	3	1	3	-	-	14
2	सिविल सोयम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वन पंचायत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	नाप भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	-	3	4	-	3	1	3	-	-	14

[Signature]
वन अधिकारी
कालादुंगी राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग.

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
बन्धोर उप प्रभाग हल्द्वानी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रपत्र-15.4

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगड़-कालादूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 0 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रोस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्रम सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग							कुल योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर 10-20	
1	आरक्षित वन भूमि	2	4	7	1	—	1	—	15
2	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	
3	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	2	4	7	1	—	1	—	15
4	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	
	कुल योग	2	4	7	1	—	1	—	15

ब्रह्माणीय अधिकारी
बराई पूर्वी क्षेत्र प्रभाव
हल्द्वानी.

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादुर्ग- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्य नाता में 100 मीटर स्पांन के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 29 वृक्षों में से वास्तविक
रूप से केवल 29 वृक्षों का पातन किया जाना है।

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/ क्षेत्राधिकारी
राजि अधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

ह०/ क्षेत्राधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी

आदेशाधीन अभियन्ता
कृष्ण चन्द्र शर्मा
हल्द्वानी (बैथीबाबा)

क्षेत्र प्रभागीय वनाधिकारी
(गोष्ठा)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

क्षेत्र प्रभागीय वनाधिकारी
कालादुर्ग राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

क्षेत्र प्रभागीय वनाधिकारी
बम्होर वन प्रभाग, हल्द्वानी

क्षेत्र प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्तान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	बांज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

बांज प्रजाति के वृक्ष नहीं पड़ते हैं ।

प्रभागीय वनाधिकारी
उराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

ह०/-
वन संरक्षक वन संरक्षक
पश्चिमी वन
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
उराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
उराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

उप क्षेत्राधिकारी
कालाढूँगी राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभाग हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र लागू नहीं है क्योंकि परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं

निर्माण सेतु आवेदित
विभाग संप्रद, सं. नि. वि.
हल्द्वानी (संवेदीय)

हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी वन प्रभाग

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

वन वनाधिकारी
नैनीताल
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

वन वनाधिकारी
जयपुर राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बन्धोर उप प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी 5.08 कि०मी० है।

वन क्षेत्र अधिकारी
नियमनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

प्रभागीय वन अधिकारी
हराई पूर्वी वन प्रभाग
प्रभागीय वन अधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी
छाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

वन प्रभाग वन अधिकारी
नम्घोर वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत समनगर-कालाढूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 0 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रोस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के किशनपुर राजि के अन्तर्गत किशनपुर ब्लॉक कक्ष सं0 1 व 2 शिवालिक ऐलीफैंट रिजर्व के अन्तर्गत घोषित है। प्रस्तावित क्षेत्र पूर्व से ही वाहनों का आवागमन होता है। उक्त मार्ग में सेतु न होने से वर्षाकाल में आवागमन में असुविधा होती है। सेतु के निर्माण से आवागमन में सुविधा होगी।

वन प्रभागीय वनप्रकारिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
किशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रभागीय वनप्रकारिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ह०/-

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेंड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(आम सभा सहमति प्रमाण पत्र संलग्न है)

  
सहायक अभियन्ता
विर्वाहा बख्श, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


अतिरिक्त अभियन्ता
विर्वाहा बख्श, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधीक्षक अभियन्ता
विर्वाहा बख्श, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-21

आम सभा सहमति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 18-09-14 को चोरगलिया एवं गौलापार क्षेत्र के ग्रामवासियों द्वारा विकास खण्ड हल्द्वानी, तहसील-हल्द्वानी, जिला-नैनीताल में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी - काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ। सभी ग्रामीणों ने एकमत एवं एक स्वर में उक्त सेतु व पहुंच मार्ग निर्माण से सहमति व्यक्त की तथा उक्त समरेखण के अनुसार सेतु व पहुंच मार्ग निर्माण से किसी भी ग्रामीण को कोई आपत्ति नहीं है।

नवीन, हेमाकेरी
ग्राम पंचायत नवागांव कटान
विकास खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पंकज बजेटा
सदस्य क्षेत्र पंचायत
01-लाखम मण्डी,
विकास खण्ड हल्द्वानी

सुधी
(उत्तरपति बेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखमण्डी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

Hemlata
प्रधान,
ग्राम पंचायत नवागांव कटान
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

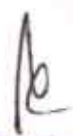
प्रपत्र-22.1

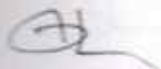
Annexure-VI (B)

Name of Project:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

(उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यकता नहीं है।)


प्रस्तावक अभियन्ता
विधान सभा, लो० नि० वि०
दलहौली (नैनीताल)


अतिरिक्त अभियन्ता
भारत सरकार, लो० नि० वि०
दलहौली (नैनीताल)



प्रपत्र-22.2

Annexure-VI (C)

Name of Project:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

(उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यकता नहीं है।)

सहायक अभियंता
नगरपालिका, लो० नि० वि०
नैनीताल

अभियंता अभियंता
नगरपालिका, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (बैबीबाबा)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-लाखनमण्डी
तहसील हल्द्वानी, जिला-नैनीताल,

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 0.46 हे० आरक्षित वन भूमि, .00 हे० सिविल सोयम भूमि .00 हे०, वन पंचायत भूमि .00 हे०) अर्थात् कुल 0.46 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लाखनमण्डी द्वारा दिनांक 18-9-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लाखनमण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम प्रधान

(छत्रपति धेलवाल)
प्रधान
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
वि०ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

दिनांक 12-9-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - लाखनमण्डी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	बलवन्त सिंह खोनी	Balwant Singh
(2)	सुरा लमगाडिया	Sura
(3)	बलेश शर्मा	Balash
(4)	देव प्रेम चिमवाल	Dev Prem
(5)	हमेश चौहानी	Hamesh
(6)	विजय वर्मा	Vijay
(7)	कमलेश मेहरा	Kamlesh
(8)	देव प्रेम चौहानी	Dev Prem
(9)	कमलेश लज्जा	Kamlesh
(10)	वीरधर शुक्ल	Veerdhara
(11)	प्रेम कुमार	Prem Kumar
(12)	देव प्रेम कुमार जांगी	Dev Prem
(13)	विष्णु विष्ट	Vishnu
(14)	दिनेश जोशी	Dinesh Joshi
(15)	दीपक चंद्र झा (रस)	Deepak
(16)	प्रकाश चंद पाण्डे	Prakash
(17)	कैलाश चंद जोशी	Kailash
(18)	प्रदीप पुरवाल	Pradyumna
(19)	रवीन्द्र गोरवामी	Ravi

हो/-
ग्राम प्रधान
(हस्ताक्षर)
ग्राम पंचायत लाखनमण्डी
पिं० २० हनुमन्ती (मिर्जापुर)

प्रपत्र-26

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुओं के अन्तर्गत रामनगर-
कालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की आख्या

संलग्न है।

कहायला अधिवक्ता
विभागीय सचिव, सी० मि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

राजभाषी अधिवक्ता
विभागीय सचिव, सी० मि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

निरी0आ0 सं0 13 / टा0फो0नैनी0/पुल/2014-15

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी0 80.00 में सूर्यानाला में 100.00 मीटर स्पान के तथा किमी0 82.00 में सूखी नदी (शेरनाला) में 120.00 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के निर्माण हेतु स्थलों की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना:-

अधिकांसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 681/4 सी, दिनांक 04.03.2014 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त चयनित स्थलों का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02.04.2014 को कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता एवं श्री जसवन्त सिंह रातेला, अमीन की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

स्थिति एवं भूगर्भीय संरचना:-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग पर स्थित हैं जहां मोटर मार्ग कई बरसाती नालों से होकर गुजरता है जो नाले दक्षिण की ओर मिलकर सूखी नदी का निर्माण करते हैं। वर्तमान में मोटर मार्ग के इन नालों से गुजरने वाले स्थलों पर कोजवे का निर्माण किया गया है। सामान्यतः इन बरसाती नालों में कोई जल प्रवाहित नहीं होता है तथा ये वर्ष भर सूखे रहते हैं जबकि वर्षाकाल में इन बरसाती नालों में अधिक जल प्रवाहित होने पर इस मोटर मार्ग में आवागमन बाधित होता है। इस मोटर मार्ग में स्थित दो नालों (1.सूर्यानाला एवं 2. शेरनाला) पर दो सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह दोनों नालें एवं इनके निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित मोटर मार्ग का सम्पूर्ण समरेखण आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है। प्रस्तावित दोनों सेतुओं के निर्माण हेतु प्रत्येक सेतु में बनाये जाने वाले एबटमेन्ट की संख्या व क्षेत्र में उनकी स्थिति के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। प्रस्तावित दोनों सेतुओं की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है:-

स्थल-01 (सूर्यानाला पर प्रस्तावित सेतु):-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी0 80.00 में स्थित है। स्थल पर स्थित मोटर मार्ग बरसाती नाले (सूर्यानाला) के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में नाले के मध्य कोजवे का निर्माण किया गया है जो नाले के बाहर स्थित मोटर मार्ग के स्तर से लगभग 1.5 मीटर कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल पर मोटर मार्ग का समरेखण 65° - 245° है। इस स्थल पर नाले की चौड़ाई लगभग 100 मीटर है तथा नाले का समरेखण 130° - 310° व बहाव की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। नाले के उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग स्थित है जिससे होकर मोटर मार्ग गुजरता है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर 100 मीटर लम्बाई व 12 मीटर चौड़ाई के सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सेतु के दक्षिण-पश्चिम की ओर 70 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग तथा उत्तर-पूर्व की ओर 60 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार स्थल पर कुल 4600 वर्गमीटर (0.46 हेक्टेयर) भूभाग, वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सेतु की नाले के वर्तमान स्तर से ऊंचाई 4.5 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

अवर्धित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं0 53 O/12 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित सेतु का दक्षिण-पश्चिमी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांश व देशान्तर पर स्थित है :-

Photo Copy Attester

Assistant Engineer

Coast. Division, P. W. D.

HALDWANI

उत्तर $29^{\circ} 08' 42.4''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 37' 49.6''$ देशान्तर

प्रस्तावित सेतु का उत्तर-पूर्वी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर $29^{\circ} 08' 43.9''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 37' 53.2''$ देशान्तर

स्थल-02 (सूखीनदी/शेरनाला पर प्रस्तावित सेतु):-

प्रस्तावित स्थल, हल्द्वानी-चौरगलिया-सितारगंज मोटर मार्ग के किमी 82.00 में स्थित है। स्थल पर स्थित मोटर मार्ग बरसाती नाले (शेरनाला) के मध्य से होकर जाता है। वर्तमान में नाले के मध्य कोजवे का निर्माण किया गया है जो नाले के बाहर स्थित मोटर मार्ग के स्तर से लगभग 2.0 मीटर कम ऊंचाई प्रदर्शित करता है। प्रस्तावित स्थल पर मोटर मार्ग का समरेखण $120^{\circ}-300^{\circ}$ है। इस स्थल पर नाले की चौड़ाई लगभग 75 मीटर है तथा नाले का समरेखण $30^{\circ}-210^{\circ}$ व बहाव की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है। नाले के उत्तर-पश्चिम व दक्षिण-पूर्व की ओर सघन वृक्षाच्छादित भूभाग स्थित है जिससे होकर मोटर मार्ग गुजरता है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर 120 मीटर लम्बाई व 12 मीटर चौड़ाई के सेतु का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सेतु के उत्तर-पश्चिम की ओर 50 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग तथा दक्षिण-पूर्व की ओर 50 मीटर लम्बाई व 20 मीटर चौड़ाई वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार स्थल पर कुल 4400 वर्गमीटर (0.44 हेक्टेयर) भूभाग वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सेतु की नाले के वर्तमान स्तर से ऊंचाई 4.5 मीटर प्रस्तावित की गयी है।

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट सं 53 O/12 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र तल से लगभग 295 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रस्तावित सेतु का उत्तर-पश्चिमी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर $29^{\circ} 08' 16.0''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 38' 43.2''$ देशान्तर

प्रस्तावित सेतु का दक्षिण-पूर्वी किनारा (बिन्दु) निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर $29^{\circ} 08' 13.9''$ अक्षांस
पूर्व $79^{\circ} 38' 46.8''$ देशान्तर

भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित बाह्य हिमालय के गिरीपाद में स्थित है। प्रस्तावित स्थल की सतह पर कठोर स्वस्थानिक चट्टानें दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। प्रस्तावित स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित भूभाग में सतह पर भूरे रंग की मृदा के साथ गोलीय कोबेल तथा पैबल के मिश्रण का मोटा आवरण है। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित खुले भूखण्डों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि स्थल पर नीचे की ओर कोबेल व पैबेल के साथ अधिक मात्रा में बोल्टडरो के मिश्रण के स्थित होने की सम्भावना है। प्रस्तावित स्थल नाले का मध्य भाग है जिसमें वर्तमान में कोबेल, पैबेल व बोल्टडर बालू के साथ मिश्रित अवस्था में विद्यमान हैं। नालों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानों के टुकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वर्षाकाल में अतिवृष्टि के समय इन नालों में अत्यधिक जल प्रवाहित होता

Photo Copy Attestee

Assistant Engineer
Const. Division. P. W. D.
HALDWANI

होगा जो नालों में बड़े बोल्टर व मलबा प्रवाहित करने की क्षमता रखता होगा। प्रस्तावित दोनों स्थल भाबर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं जिनमें भाबर क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना व्याप्त है। प्रस्तावित स्थल एक जलोढ़ पंख के अन्तर्गत स्थित है जिसका ऊपरी भाग, गोला नदी, सूखी नदी व इनकी सहायक नदियों द्वारा कालान्तर में अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर निक्षेपित होकर कठोर हुये भाग से निर्मित हुआ प्रतीत होता है। स्थल पर ढलाने दृष्टिगोचर नहीं होती हैं तथा स्थल लगभग समतल है। स्थल-01 सूर्यानाला में सामान्य ढलाने दक्षिण-पूर्व की ओर तथा स्थल-02 शेरनाला में सामान्य ढलाने दक्षिण की ओर हैं। निरीक्षण के समय स्थल पर भूस्तराव के कोई चिन्ह सतह पर दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

सुझाव एवं शर्त:-

प्रथम दृष्ट्या निरीक्षण के दौरान वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि निर्माण से भूखण्डों को कोई खतरा उत्पन्न हो, तथापि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सेतुओं का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

1. स्थल पर सेतु, नालों के अधिकतम बाढ़ सतह के पर्याप्त ऊपर सेपटी फैक्टर्स के समाकलन के उपरान्त निर्मित किये जाने होंगे।
2. स्थल पर प्रस्तावित एबटमेन्ट्स के अप व डाउन स्ट्रीम तलों को सुरक्षा धारक दीवार व सी0सी0ब्लॉक्स से ट्रीट कर नाले के लेटरल व डाउनवर्ड कटिंग को न्यून किया जाना होगा।
3. स्थल वन भूमि होने की दशा में, वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों एवं समय-समय पर पारित अन्य नियमों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा।
4. एबटमेन्ट व सी0सी0 प्लम ब्लॉक्स का आधार नाले के बेस लेवल ऑफ इरोजन से यथा सम्भव नीचे ही रखा जाना होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य करने से पूर्व, स्थल की भारग्रही क्षमता की जांच करायी जानी होगी तथा जांच के उपरान्त प्राप्त होने वाली संस्तुतियों के अनुरूप ही सेतुओं की डिजाइनिंग व एबटमेन्ट्स का निर्माण किया जाना होगा।
6. प्रस्तावित सम्पूर्ण भूभाग भूकम्पीय जोन IV में स्थित होने के कारण, सेतुओं की डिजाइनिंग व एबटमेन्ट्स के आधार का निर्माण भूकम्पीय जोन IV हेतु निर्धारित निर्माण के मानकों के अनुरूप तथा भूकम्परोधी तकनीक से ही किया जाना होगा।
7. नालों का निकटवर्ती क्षेत्र मृदा बाहुल्य क्षेत्र है अतः निर्माण कार्य में स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित व लॉजिकल सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाये।
8. सेतुओं का निर्माण, पहाड़ी क्षेत्रों में सिविल इंजिनियरिंग के निर्माण कार्यों के लिये बी0आई0एस0 कोड में निर्धारित किये गये मानकों व नियमों के अनुसार ही किया जाना होगा।

अतः उपरोक्त सुझावों के अनुपालन की दशा में ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सेतुओं के निर्माण हेतु उपयुक्त (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होते हैं। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त सुझावों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियों के लिये कार्यदायी संस्था स्वयं ही उत्तरदायी होगी।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Const. Division, P. W. D.
HALDWANI

(लेख राज)

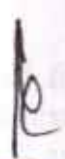
सहायक भूवैज्ञानिक

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 नदी
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये
गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

 
अध्यक्ष अभियंता
विशेष सड़क, डी० न० वि०
दल्हौली (नैनीताल)


अतिरिक्त अभियंता
विशेष सड़क, डी० न० वि०
दल्हौली (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants In.

(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


 अध्यक्ष, निर्माण विभाग,
 निर्माण विभाग, लो. नि. वि.,
 इलाहाबाद (नैनीताल)


 अध्यक्ष, निर्माण विभाग,
 निर्माण विभाग, लो. नि. वि.,
 इलाहाबाद (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

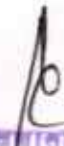
मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो० नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध नहोने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तकपरिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सीद्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़ेवृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

  
 अधिकारी आभार्यः
 विनोद शर्मा, सी० नि० बि०
 इन्सपेक्टर (नैनीताल)


 अधिकारी आभार्यः
 विनोद शर्मा, सी० नि० बि०
 इन्सपेक्टर (नैनीताल)

मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त विषयक परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उल्लेखित मानक शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण अथवा नो० नि० वि०
इल्हासी (नैनीताल)

सहायकी अभियन्ता
निर्माण अथवा नो० नि० वि०
इल्हासी (नैनीताल)



परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल,
धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त
वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को
आवंटित नहीं की गई है।


अधिकांशी अधिकारी
विधान सभा, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधिकांशी अधिकारी
विधान सभा, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)
**Sub Divisional Magistrate
HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand.**


जिलाधिकारी
देवोताब.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान
वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

अधिकारी का नाम:-
विभागीय अधिकारी, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिकारी का नाम:-
विभागीय अधिकारी, मो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।
लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्रमांक	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1.	खेड़ा	26.71	534
2.	नवाड़खेड़ा	1108	277
3.	देवलातल्ला पजाया	467	93
4.	देवलामल्ला	565	112
5.	देवलातल्ला सिमलार	159	38
6.	कुवरपुर	529	132
7.	लाखनमंडी	581	345
8.	मल्लापचोनिया	454	75
9.	तल्लापचोनिया	264	52
10.	नयागाव कटान	585	97
11.	इन्दपुर	183	36
12.	गंगापुर	64	31
13.	उम्मेदपुर	155	26
14.	जयपुर खोलिया	364	61
15.	सीतापुर	596	98
16.	मदनपुर	448	71
17.	देवपुरदेवका	294	59
18.	बसंतपुर	451	90
19.	रतनपुर नेगी	328	65
20.	उदयपुर रैक्वाल	123	25
21.	गुसापुर	82	15
22.	धर्मपुर	106	20
23.	देवपुरदानी	127	24
24.	त्रिलोकपुर दानी	450	94
25.	हरिपुर ठठोला	44	6
26.	बासखेड़ा ईश्वरीदत्त	225	48
27.	सेलाभाबर त्रिलोक सिंह	138	24
28.	सेलाभाबर मेहर सिंह	121	20
29.	विजयपुर	278	60
30.	जगतपुर	585	120

प्रमाणित किया जाता है
जनपद नैनीताल, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रमाणित किया जाता है
जनपद नैनीताल, सी० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हितस्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है। लागू नहीं है।

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि/गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं है, जहाँ उक्त परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त चयनित 0.46 है० वनभूमि का बाजार मूल्य/दर ₹ 2800000.00 (अठईस लाख रुपये) प्रति हैक्टेयर है। तदनुसार उक्त वनभूमि का कुल मूल्य ₹ बारह लाख अठासी हजार होता है।

जिला निरीक्षक
01/04/2014

जिला निरीक्षक
01/04/2014
क्षेत्र काठगोदाम,

तहसीलदार
हल्द्वानी

Sub Divisional Magistrate
HALDWAN (Nainital)
Uttarakhand.

जिला निरीक्षक
काठगोदाम,



परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 0 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है -कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित उक्त वन भूमि 1.00 है० से कम है।
अतः प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना / प्राकलन संलग्न किया जाना अनिवार्य नहीं है।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सप प्रभाग (गोला)

छराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
किन्नौर

छराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रमाणित वनाधिकारी
छराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र-35

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम :-क्षेत्रफल हे०
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	आग्नेय दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे घाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान			
5	गड़्ढा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
6	निरीक्षण बटिया बनाना			
7	पौधों का मूल्य			
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय			
9	अन्य कार्य			
	योग:-प्रथम चरण			
द्वितीय चरण				
1	गड़्ढा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौध बुलान कार्य			
4	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)			
6	खाद व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			

	8.1 सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०			
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9	अन्य व्यव साइन बोर्ड पीछे बुलान हेतु टोंकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूमेटेशन आदि कार्य			
10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्सेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का पंचवर्ष वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचवर्ष वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			

योग :-				
--------	--	--	--	--

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :- 124/-

ह0 /
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना/मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना/मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को वहन करने को लो०नि०वि० सहमत है।

सहायक अभियन्ता
विभागीय सचिव, नो० नि० वि०
हल्द्वानी (रेंजोताख)

अभिधात्री अभियन्ता
पर्यावरण सचिव, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (रेंजोताख)

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर० सी० सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना

क्र. स.	कार्य विवरण	सं०	मात्रा	दर	धनराशि रु० में
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण कार्य	1	0.50 है०	73.00	36.50
2	कुरी युक्त क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी कटान कार्य	1	0.50 है०	6,476.00	3,238.00
3	गड़ड़ा खुदान कार्य (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.50 है०	8,056.00	4,028.00
4	नर्सरी पर व्यय	1	0.50 है०	10,060.00	5,030.00
5	कॉटेदार तार का मूल्य	1	0.50 है०	4,824.00	2,412.00
6	तार लगाने का पारिश्रमिक	1	0.50 है०	1,001.00	500.50
7	आर०सी०सी० पोल की बनवाई	1	100.00 नग	263.00	26,300.00
8	आर० सी०सी० पोल का मौके तक दुलान एवं लगाना	1	100.00 नग	57.18	5,718.00
9	गड़ड़ा भरान (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.50 है०	896.00	448.00
10	पौधारोपण स्थानीय दुलान सहीत	1	0.50 है०	2,239.00	1,119.50
11	पौध दुलान नर्सरी से मौके तक	1	0.50 है०	2,685.00	1,342.50
12	निराई-गुड़ाई	प्रथम 1	0.50 है०	1,760.00	880.00
		द्वितीय 1	0.50 है०	1,408.00	704.00
		तृतीय 1	0.50 है०	880.00	440.00
13	आग से बचाव हेतु खरपतवार दबाने हेतु जुताई/ झाड़ी कटान आदि कार्य	1	0.50 है०	1,475.00	737.50
14	तारबाड के बाहर आग लाइन सफाई	1	0.50 है०	143.00	71.50
15	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 1 श्रमिक	1	8.00 माह	5,720.00	45,760.00
16	अन्य व्यय प्रथम वर्ष रखरखाव, प्रचार-प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि	1	0.50 है०	2,192.66	1,096.33
योग:-					99,862.33
17	द्वितीय वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,346.00	5,673.00
18	तृतीय वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
19	चतुर्थ वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
20	पंचम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
21	षष्ठम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
22	सप्तम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
23	अष्टम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
24	नवम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
25	दशम वर्ष रख रखाव	1	0.50 है०	11,284.00	5,642.00
कुल योग:-					150,671.33

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप वन प्रभाग, हल्द्वानी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप वन प्रभाग, हल्द्वानी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप वन प्रभाग, हल्द्वानी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम- प्राकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्दानी- घोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के दोनों ओर बायीं/दायीं साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 है० का हस्तान्तरण।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों क वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम- कालूखेड़ा कक्ष सं० 6 क्षेत्रफल- 1.00 है० में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या..... 100 पौध

G.P.S.- N- 29° 09' 45.4"
E- 079° 36' 30.7"

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00 है०	73.00	73.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.00 है०	6474.00	6474.00
3	अग्नि दीवार बंदी (फैन्सिंग) मय तार/पोल/स्थापना सहित	1.00 है०	16394.00	16394.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	-	-	-
5	मृदा खदान (0.30x0.30x0.45)	100	5.819	581.90
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1.00 है०	407.00	407.00
7	पौधों का मूल्य (दो वर्षीय पौध)	100	10.06	1006.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय	1.00 है०	3073.00	3073.00
9	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	-	L.S.	1000.00
योग प्रथम चरण:-				29008.90

द्वितीय चरण

1	मृदा खदान (0.30x0.30x0.45)	100	6.72	672.00
2	पौधों का मूल्य	-	-	-
3	पौध खदान कार्य	100	2.685	102.685
4	वृक्षारोपण व धावलाबन्दी/स्थानीय बुलान सहित	100	2.239	694.09
5	निर्बाई मुकाई व मल्लिग (दो बार)	100	3.168	316.80
6	खाद व दवा पर व्यय	1.00 है०	39.00	39.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	8 माह	5280.00	42240.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	L.S.	1000.00
	8.2 सुखा दीवार/घेरबाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1.00 है०	143.00	143.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु अभियान तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों का प्रोत्साहन वन	1.00 है०	L.S.	1000.00
9	अन्य व्यय सर्वे एवं सीमांकन हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्ष से बचने हेतु क्लिथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड नोट्स कार्य को प्रचार प्रसार एवं डेब्यूमेंटेशन आदि कार्य	1.00 है०	3073.00	3073.00
10	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	-	L.S.	1000.00
योग द्वितीय चरण:-				50280.58

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	2.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	1.00 हे०	1475.00	1475.00
	2.2 सुखा ढोकल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00 हे०	155.00	155.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 हे०	L.S.	1000.00
3	अन्य कार्य (तारबाड़ मरम्मत)	1.00 हे०	387.00	387.00
योग:-				10937.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य/श्रमिक	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 हे०	387.00	387.00
योग:-				8307.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य/निराई गुड़ाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2	अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-				11284.00

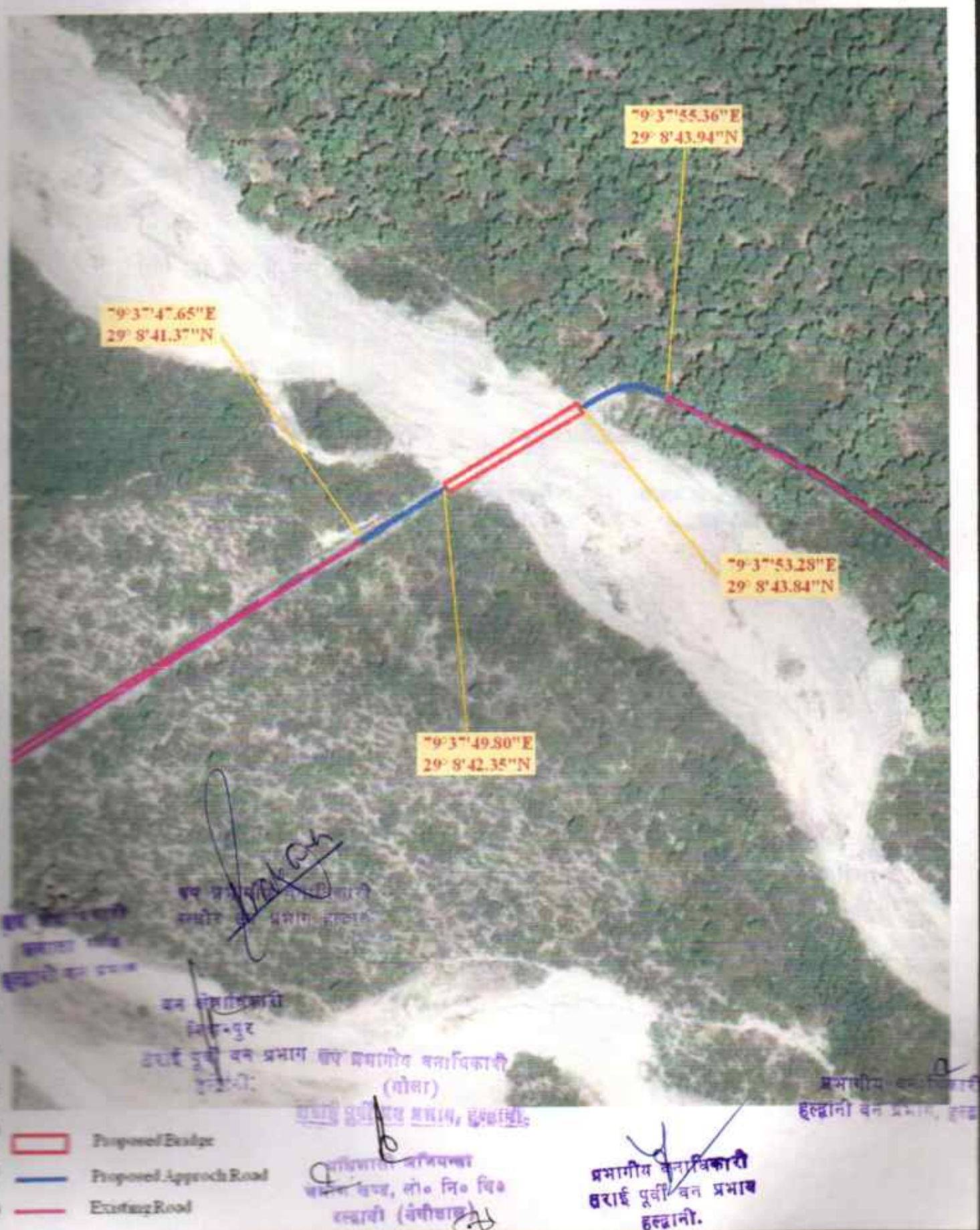
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत:- 154953.48

उप प्रमानीय वनाधिकारी
नन्धौर, हल्द्वानी वन प्रभाग

उप प्रमानीय वनाधिकारी
नन्धौर, हल्द्वानी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
छकाता रेंज हल्द्वानी
हल्द्वानी वन प्रभाग

डिजिटल मैप :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत
 जामुन :- कालादुगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिज्जी राज्य मार्ग
 के कि०मी० 80.00 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु
 व पहुंच मार्ग का निर्माण



प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत समनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

चयनित समरेखण ही एक मात्र प्रथम व अंतिम समरेखण है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है उक्त परियोजना का निर्माण पूर्व से निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

नदीयक आयोजना
विभागीय सचिव, सी० नि० बि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

नदीयक आयोजना
विभागीय सचिव, सी० नि० बि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
नियम-पुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्राधिकारी
ज्वालामुखी राबि
हल्द्वानी वन प्रभाग.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रम्घोर वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-22

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project - जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

(उक्त प्रस्ताव हेतु आवश्यकता नहीं है।)

सहायक अभियन्ता
निर्माण सख्त, सी० नि० वि०
इलाहाबाद (बेचोलाख)

अधिसारी अभियन्ता
महानगर सख्त, सी० नि० वि०
इलाहाबाद (बेचोलाख)

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रुपये 830291/- आंकलित किया जाता है।

वन अधिकारी
ह० न०
राजि अधिकारी
हल्द्वानी

वन प्रभारी वनाधिकारी
(गोला)
सूर्या नाला वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी

वन अधिकारी
छाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

वन प्रभागीय वनाधिकारी
मन्धौर वन प्रभाग हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी० 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	वन ब्लॉक / कम्पार्टमेंट	प्रजाति	व्यास श्रेणी (सेमी०मी०)							योग	वृक्षों का मूल्य
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर		
1.	किशनपुर कक्ष सं० 1 व	शीशम सूखा	—	1	—	—	—	—	—	1	3303.00
2.		कन्जु हरा	—	1	1	—	—	—	—	2	4698.00
3.		कन्जु सूखा	—	—	—	—	—	1	—	1	11751.00
4.		कोकाट-	—	1	—	—	—	—	—	1	747.00
5.	किशनपुर कक्ष सं० 2	शीशम सूखा	—	—	1	—	—	—	—	1	9583.00
6.		कन्जु हरा	—	1	5	1	—	—	—	7	15666.00
7.		रोहनी हरा	2	—	—	—	—	—	—	2	308.00
योग			2	4	7	1	—	1	—	15	46056.00

इभागीय वनधिकारी
बराई पूर्व वन प्रभाग
हल्द्वानी

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र तालकुआ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी० 80 सूर्यनासा में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	वन ब्लाक / कम्पार्टमेन्ट	प्रजाति	व्यास श्रेणी (सेमी०मी०)							योग	वृक्षों का मूल्य
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से ऊपर		
1.	किशनपुर कक्ष सं० 1 व	शीशम सूखा	—	1	—	—	—	—	—	1	3303.00
2.		कन्जु हरा	—	1	1	—	—	—	—	2	4698.00
3.		कन्जु सूखा	—	—	—	—	—	1	—	1	11751.00
4.		कोकाट-	—	1	—	—	—	—	—	1	747.00
5.	किशनपुर कक्ष सं० 2	शीशम सूखा	—	—	1	—	—	—	—	1	9583.00
6.		कन्जु हरा	—	1	5	1	—	—	—	7	15666.00
7.		रोहनी हरा	2	—	—	—	—	—	—	2	308.00
योग			2	4	7	1	—	1	—	15	46056.00

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूंगी- हल्द्वानी- चोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण के सररेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन विवरण।

छकाता राजि

हल्द्वानी वन प्रभाग

वर्ष:- 2014-15

सूर्यानाला

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	गुणक	कुल आयतन घ०मी०	दर प्रति घ०मी०	वृक्ष का कुल मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डोलपोखरा कक्ष सं० 7 व 8	अमलतास	30—40	1	0.595	0.595	9893.00	5886.33
2		जामुन	50—60	1	1.710	1.710	4931.00	8432.01
3		रोहनी	20—30	3	0.255	0.765	1293.00	989.14
			30—40	2	0.595	1.190	1293.00	1538.67
4		खोदा	60—70	1	2.322	2.322	9893.00	22971.54
5		साल	30—40	1	0.934	0.934	31822.00	29721.74
			50—60	1	3.030	3.030	31822.00	96420.66
			70—80	3	6.357	19.071	31822.00	606877.36
6		धौड़ी	50—60	1	1.841	1.841	6191.00	11397.63
योग:—			—	14 वृक्ष	—	—	—	784235.08
या:—								784235.00
कुल मूल्यांकन योग:— 14 वृक्ष = रुपये 784235.00 (रु० सात लाख चौरासी हजार दो सौ पैतिस मात्र)								

हल्द्वानी वन प्रभाग
छकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी वन प्रभाग

हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या- 29 न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम 29 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

बनायीय वनाधिकारी
जनपद नैनीताल, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (सेवीहाउस)

बनायीय वनाधिकारी
काता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

बनायीय वनाधिकारी
संघीय वन प्रभाग हल्द्वानी

बनायीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना/मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना/मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन करने को लो०नि०वि० सहमत है।

लक्ष्मण लाल शर्मा
निर्माण सचिव, लो० नि० वि०
इलाहाबाद (बंसीठाबाद)

जयशंकर लाल शर्मा
निर्माण सचिव, लो० नि० वि०
इलाहाबाद (बंसीठाबाद)



प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूँगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग उक्त परियोजना निर्माण हेतु आर०सी०सी० पिलरो के सीमांकन से सम्बन्धित व्यय को वहन करने के लिये सहमत है।

नदीय क्षेत्र विकास
विभाग प्रमुख, सो० नि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

नदीय क्षेत्र विकास
विभाग प्रमुख, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र-38

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर— कालाढूंगी— हल्द्वानी— काठगोदाम—चोरगलिया—सितारगंज— विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्थान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन
मोटरमार्ग का नाम— उक्त क्षेत्रफल 0.20 है०
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या— 200

क्र०स०	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.20	73	14.60
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.20	6476	1295.20
3	फेंसिंग/ट्री-गार्ड	200	2450	490000.00
4	गड़डा खुदान (0.30x 0.30 x 0.45)	200	5.819	1163.80
5	पौधों का मूल्य	200	50	1000.00
6	अन्य कार्य	0.20	500	100.00
	योग—प्रथम चरण			493573.60
द्वितीय चरण				
1	गड़डा भरान (0.30x 0.30 x 0.45)	200	0.672	134.40
2	पौधों का मूल्य	200	100.00	20000.00
3	पौधे बुलान कार्य	200	15.00	3000.00
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	200	6.00	1200.00
5	निराई गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	200	3.16	632.00
6	खाद व दवा पर व्यय	200	5.00	1000.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	200	60.00	12000.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौधे बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार कोटोवाकी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमेटेशन आदि कार्य।	0.20	100	200.00
10	अन्य कार्य	0.20	1573	314.60
	योग द्वितीय चरण			38481.00

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति है० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।		12050	-
3	अन्य कार्य			
	योग		12050	-

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य		11988	-
	अन्य कार्य			
	योग		11988	-
	कुल योग		626506	-

वृक्षारोपण की कुल लागत- 626506.00

वन निरीक्षक
विश्व-पुर
बराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वारी

वन प्रभारी
(नीला)
बराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वारी

बराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वारी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पांन के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

मोटर मार्ग का नाम :-.....क्षेत्रफल हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	फर्निशिंग / ट्री-गार्ड			
4	गड़्ढा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
5	पौधों का मूल्य			
6	अन्य कार्य			
	योग:-प्रथम चरण			
द्वितीय चरण				
1	गड़्ढा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौधे डुलान कार्य			
4	पौधारोपण व धालाबन्दी			
5	निराई गुड़ाई व मल्लिचंग (दो बार)			
6	खाद व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि अन्य वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन शीट अन्य वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूमेटेशन आदि कार्य			



10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय चरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्त्खनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
---	---	--	--	--



अन्य कार्य			
योग :-			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :- $\leftarrow$ रिक्त $\rightarrow$

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:-

जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाढूंगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मी० स्पान के आर० सी० सी० प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट सेतु एवं पहुँच मार्ग।

प्रभावित वृक्षों की 10 गुना संख्या में वृक्षारोपण योजना

क्र.सं.	कार्य विवरण	सं०	मात्रा	दर	धनराशि रु० में	
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमा निर्धारण कार्य	1	0.15 है०	73.00	10.95	
2	कुरी युक्त क्षेत्र की सफाई एवं झाड़ी कटान कार्य	1	0.15 है०	6,476.00	971.40	
3	गड़ड़ा खुदान कार्य (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.15 है०	8,056.00	1,208.40	
4	नर्सरी पर व्यय	1	0.15 है०	10,060.00	1,509.00	
5	कॉटेदार तार का मूल्य	1	0.15 है०	4,824.00	723.60	
6	तार लगाने का पारिश्रमिक	1	0.15 है०	1,001.00	150.15	
7	आर०सी०सी० पोल की बनवाई	1	100.00 नग	263.00	26,300.00	
8	आर० सी०सी० पोल का मौके तक बुलान एवं लगाना	1	100.00 नग	57.18	5,718.00	
9	गड़ड़ा भरण (0.45 X 0.45 X 0.45)	1	0.15 है०	896.00	134.40	
10	पौधारोपण स्थानीय बुलान सहित	1	0.15 है०	2,239.000	335.85	
11	पौध बुलान नर्सरी से मौके तक	1	0.15 है०	2,685.000	402.75	
12	निराई-गुड़ाई	प्रथम	1	0.15 है०	1,760.00	264.00
		द्वितीय	1	0.15 है०	1,408.00	211.20
		तृतीय	1	0.15 है०	880.00	132.00
13	आग से बचाव हेतु खरपतवार दबाने हेतु जुताई/झाड़ी कटान आदि कार्य	1	0.15 है०	1,475.00	221.25	
14	तारबाड़ के बाहर आग लाइन सफाई	1	0.15 है०	143.00	21.45	
15	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक 1 श्रमिक	1	8.00 माह	5,720.00	45,760.00	
16	अन्य व्यय प्रथम वर्ष रखरखाव, प्रचार-प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि	1	0.15 है०	2,192.66	328.90	
कुल योग:-					84,403.30	
17	द्वितीय वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,346.00	1,701.90	
18	तृतीय वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
19	चतुर्थ वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
20	पंचम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
21	षष्ठम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
22	सप्तम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
23	अष्टम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
24	नवम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
25	दसम वर्ष रख रखाव	1	0.15 है०	11,284.00	1,692.60	
कुल योग:-					99,646.00	

वन अधीक्षक
किशनपुर वन क्षेत्र
निका पुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गौला उप(वन)प्रभाग, हल्द्वानी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- प्राकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर- कालादुंगी- हल्दानी- चोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के दोनों ओर बायीं/दायीं साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 है० का हस्तान्तरण।
काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुना वृक्षों अथवा न्यूनतम 100 वृक्षों के रोपण हेतु प्राकलन मय रख रखाव।

वृक्षारोपण योजना का प्राकलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम- कालूखेड़ा कक्ष सं० 6 क्षेत्रफल 1.00 है० में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या..... 140 पौध

G.P.S.- N- 29° 09' 45.4"
E- 079° 36' 30.7"

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.00 है०	73.00	73.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1.00 है०	6474.00	6474.00
3	अग्रिम दीवाल बंदी (फैन्सिंग) मय तार/पोल/स्थापना सहित	1.00 है०	16394.00	16394.00
4	नूदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्य हेतु प्राविधान	-	-	-
5	सड़क खुदान (0.30x0.30x0.45)	140 ग०	5.819	814.66
6	निरीक्षण बटिया बनाना	1.00 है०	407.00	407.00
7	लैबों का मूल्य (दो वर्षीय पौध)	140	10.06	1408.40
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.00 है०	3073.00	3073.00
9	अन्य कार्य (श्रमिकों हेतु पानी की व्यवस्था)	-	L.S.	1000.00
योग प्रथम चरण:-				29644.06

द्वितीय चरण

1	सड़क भरान (0.30x0.30x0.45)	140 ग०	6.72	940.80
2	लैबों का मूल्य	-	-	-
3	लैब दुलान कार्य	140 पौध	2.685	375.90
4	लैबरोपण व धावलाबन्दी/स्थानीय दुलान सहित	140 पौध	2.239	313.46
5	निर्वाह सुझाई व मलिन्य (दो बार)	140 पौध	3.168	443.52
6	जल व दवा पर व्यय	1.00 है०	39.00	39.00
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुसन्धान पर व्यय	8 माह	5280.00	42240.00
8	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1.00 है०	L.S.	1000.00
	8.2 नुका दीवाल/घेराबंद के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	1.00 है०	143.00	143.00

8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों का प्रोत्साहन देना	1.00 हे०	L.S.	1000.00
9 अन्य व्यव लाईन बोर्ड पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्ष से बचने हेतु पीलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एवं डेक्कूमंटेशन आदि कार्य	1.00 हे०	3073.00	3073.00
10 अन्य कार्य (भूमिगत हेतु पानी की व्यवस्था)	-	L.S.	1000.00
योग द्वितीय चरण:-			50568.68

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 2.1 वृक्षारोपण के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	1.00 हे०	1475.00	1475.00
2.2 वृक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00 हे०	155.00	155.00
2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	1.00 हे०	L.S.	1000.00
3 अन्य कार्य (तारबाड़ मरम्मत)	1.00 हे०	387.00	387.00
योग:-			10937.00

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य/श्रमिक	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	387.00	387.00
योग:-			8307.00

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य/निराई गुदाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-			11284.00

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य/निराई गुदाई/झाड़ी कटान/आग लाईन सफाई/तारबाड़ मरम्मत	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-			11284.00

वृक्षारोपण का पांचवें वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-			11284.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-			11284.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1 रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	1.00 हे०	7920.00	7920.00
2 अन्य कार्य	1.00 हे०	3364.00	3364.00
योग:-			11284.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत:-

155876.74

प्रमुख अधिकारी
हस्तक्षेपक, वृक्षारोपण

प्रमुख अधिकारी
उप प्रमुख वृक्षारोपण
हस्तक्षेपक, वृक्षारोपण

प्रमुख अधिकारी
उप प्रमुख वृक्षारोपण
हस्तक्षेपक, वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

पारेषण लाईन/रोपवे के कोरिडोर के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्राक्कालन वृक्षारोपण योजना का प्राक्कालन

मोटर मार्ग का नाम :-.....क्षेत्रफल हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या

क्रसं	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन			
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)			
3	आग्नि दीवाल बन्दी (फन्सिंग)			
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्य हेतु प्राविधान			
5	गड्ढा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)			
6	निरीक्षण बटिया बनाना			
7	पौधों का मूल्य			
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्य पर व्यय			
9	अन्य कार्य			
	योग:-प्रथम चरण			
द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरण (0.30 x 0.30 x 0.45)			
2	पौधों का मूल्य			
3	पौधे बुलान कार्य			
4	पौधरोपण व थालाबन्दी			
5	निरई गुड़ाई व मल्लिग (दो बार)			
6	खाने व दवा पर व्यय			
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय			
8	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत			
	कुले चाल, कुल एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०			



	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना			
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्साहनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			
9	अन्य व्यवसाय बोर्ड पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमैटेशन आदि कार्य			
10	अन्य कार्य			
	योग द्वितीय धरण			

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे० 2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्साहनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			
3	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
2	अन्य कार्य			
	योग :-			

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य			
	अन्य कार्य			
	योग :-			

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत :-

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादुंगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

उक्त कार्ययोजना का निर्माण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है परियोजना निर्माण के दौरान मलुवा उत्पादित नहीं होना है बल्कि समतलीकरण एवं पहुँच मार्ग हेतु अतिरिक्त मलुवा/मिटटी आदि की आवश्यकता होगी अतएव परियोजना निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु मकडिस्पोजल प्लान(मलुवा निस्तारण योजना व मानचित्र) की आवश्यकता नहीं है।

परियोजना से उत्पादित मलुवा के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन

क०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
-------	----------	--------	---------	------------

शून्य

अध्यक्ष अधिवक्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

अध्यक्ष अधिवक्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्र अधिकारी
क्रिशनपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी व. हल्द्वानी

उप वनाधिकारी
कमला रात्रि
हल्द्वानी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रन्धीर वन प्रभाग हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज-विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की देयता का प्रमाण पत्र

उक्त विषयक परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में निर्धारित कर उल्लेखित एन०पी०वी० की धनराशि को ~~देने के लिये~~ लोक निर्माण विभाग देने के लिये सहमत है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि,
दुस्साड़ी (बेवीवाब)



वास्तविक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, सो० नि० वि
दुस्साड़ी (बेवीवाब)



परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-घोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० 5- / 2007-एफ०सी० दिनांक 5.2.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है।

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	III
2. हरियाली का घनत्व	-	0. - 0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	6.26,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.32 है०
		200,320.00

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत
चमनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80
सुदूरता में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पी०स्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं०
5-/2007-एफ०सी० दिनांक 5.2.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु
एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है।

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	III
2. हरियाली का घनत्व	-	0. - 0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	6,26,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.32 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि -		2,00,320.00

उप प्रभागीय बसाधिकारी
(गौला)
छाई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय बसाधिकारी
छाई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कातादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०पी०स्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी.....III
2. हरियाली का घनत्व.....0.00-0.10
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०.....6,26,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....0.14 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि.....87,640.00


वन प्रशासक
छाता राज
हल्द्वानी वन प्रभाग


वन प्रशासक
नर्मौर वन प्रभाग हल्द्वानी


प्रभासीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०ग्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

अतिरिक्त अधिकारी

विभाग सचिव, प्रौ० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अतिरिक्त अधिकारी

विभाग सचिव, प्रौ० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत रामनगर-कालादूगी-हल्द्वानी-काठगोदाम-चौरगलिया-सितारगंज विजटी राज्य मार्ग के किमी 80 सूर्यनाला में 100 मीटर स्पान के आर0सी0सी0प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित वन भूमि का आर0सी0सी0 पिलरों से सीमांकन कार्य किये जाने का प्रांकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई / सं०	नपत (मी० में)			मात्रा	दर(रु०में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊँ०			
1	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु गड्ढा खोदना	6	0.75	0.75	1.00	3.315(घनमी०)	187.००	6311.25
2	आर0सी0सी0 पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना	6	-	-	-	-	ल०स०	500.00
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर0सी0सी0 पिलर निर्माण	6	0.75	0.75	1.55	5.23(घनमी०)	5184.००	27112.32
4	आर0सी0सी0 पिलर निर्माण हेतु सरीया कय करना	-	-	-	-	4.10 कु०	4700.००	19270.00
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	6X4	0.75	-	0.50	9.00 वर्ग मी०	145.००	1305.00
6	पिलर में पिलर सं० आदि लिखना	-	-	-	-	6 नग	45.००	270.00
7	पानी की ढुलाई आदि	-	-	-	-	-	-	300.00
	कुल योग							55068.57 या 55060.00

वन विभागाधिकारी
निराई पुर
नराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

वन प्रभागीय वनाधिकारी
(गोला)
नराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
नराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र -44

परियोजना का नाम- प्राकलन: बावत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत रामनगर- कालाबूगी- हल्दानी- चोरगलिया- सितारगंज- बिजटी राज्य मार्ग कि०मी० सं० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० प्रीस्ट्रैस्ड कंक्रीट सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु पहुँच मार्ग के दोनों ओर बायीं/दायीं साईट पर स्थित आरक्षित वन भूमि डोलपोखरा 7 अ एवं 8 स की भूमि 0.14 है० को हस्तान्तरण पर सीमांकन कर आर०सी०सी० पीलरों का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पीलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

नन्धौर राजि

हल्दानी वन प्रभाग

वर्ष:- 2014-15

क्र. सं.	कार्य का विवरण	सं०	नपत मीटर में			मात्रा	दर	धनराशि
			ल०	चौ०	ऊँ./ग.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आर.सी.सी. पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य	25	0.75	0.30	0.75	4.22	187.00	788.91
2	आर.सी.सी. पिलर के बेस पर घूना व कोयला काटना	25	-	-	-	50.00	100.00	5000.00
3	124 सीमेंट मसाले में आर.सी.सी. पिलर निर्माण मज बुनियाद	25	0.75	0.30	1.50	8.44	5798.80	48927.38
4	आर.सी.सी. कार्य हेतु सरिया क्रय करना, काटना बाधना आदि कार्य	8.437x0.785			6.62	6.62	5500.00	36410.00
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य	25x2 (0.75+0.30)			0.75	39.38	145.00	5709.38
5	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना	25	-	-	-	25.00	100.00	2500.00
6	पानी की बुलाई आदि	25	-	-	-	-	LS	5000.00
							योग-	104335.66
							या:-	

प्रभारणीय वनाधिकारी
हल्दानी वन प्रभाग, हल्दानी.

उप-प्रभारणीय वनाधिकारी
नन्धौर राजि, हल्दानी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी,
नन्धौर राजि, ह०व०प्र०
हल्दानी वन प्रभाग.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर- कालाढूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

परियोजना का मदवार विवरण

1. 100मी० स्पान आर०सी०सी० प्रिस्ट्रेड्ड कंक्रीट पुल निर्माण कार्य :-
 - (i) फाउन्डेशन हेतु आर०सी०सी० वैल का निर्माण कार्य।
 - (ii) सबस्ट्रक्चर (पियर, अब्टमेंट इत्यादि) का निर्माण।
 - (iii) सुपर स्ट्रक्चर (बीम व स्लैब, रेलिंग इत्यादि) का निर्माण।
 - (iv) पुल के सुरक्षात्मक कार्य।
2. पुल को पूर्वनिर्मित मार्ग से जोड़ने हेतु उसके दोनों ओर पहुँच मार्ग का निर्माण
 - (i) मिट्टी भरान का कार्य।
 - (ii) तीन सतहों में पत्थर कुटाई का कार्य।
 - (iii) बी०एम० / एस०डी०बी०सी० द्वारा लेपित सतह निर्माण कार्य।

अ/सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग, सी० नि० दि०
नैनीताल (नैनीताल)

आयुक्त
नगरपालिका, सी० नि० दि०
हल्द्वानी (हल्द्वानी)

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि को लीज पर नहीं
लिया जा रहा है क्योंकि यह एक स्थाई दीर्घकालीक परियोजना है।


अधीक्षक अभियन्ता,
निर्माण सचद, मो० नि० वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)


अधीक्षक अभियन्ता,
निर्माण सचद, मो० नि० वि०,
हल्द्वानी (नैनीताल)


अभागीय वन अधिकारी
बराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.


अभागीय वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-
कालादूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80
सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन
संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

बहाल अधिकारी:
विजय लाल, सी० नि० बि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

राजपाली अधिकारी,
विजय लाल, सी० नि० बि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्र अधिकारी
किशोपुर
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(नोवा)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

वन क्षेत्र अधिकारी
कालादूँगी राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नन्धोर वन प्रभाग हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत रामनगर-कालाडूँगी- हल्द्वानी- काठगोदाम-चोरगलिया-सितारगंज- विजटी राज्य मार्ग के कि०मी० 80 सूर्या नाला में 100 मीटर स्पान के आर०सी०सी०प्रीस्ट्रेड कंक्रीट सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


उद्देश्य अभियन्ता
विशेष सचिव, प०.नि०वि.
इलाहाबाद (नैनीताल)


आवधारती आभयम्,
विभाग सचिव, सो० नि० वि०
इलाहाबाद (नैनीताल)

1.परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआ के अन्तर्गत रामनगर -कालादुँगी -हल्द्वानी-काठगोदाम -चौरगलिया-सितारगंज-बिजटी राज्यमार्ग के कि०मी० 80 सूर्यानाला में 100 मी० स्पान के आर०सी०सी० ग्रीस्टेड कंक्रीट सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण।

2.प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)

आरक्षित वन भूमि0.46 हैक्टेयर.....

सिविल एवं सोयम वन भूमि ———X————

वन पंचायत भूमि ———X————

निजी भूमि ———X————

योग 0.46 हैक्टेयर

3.प्रस्तावक विभाग का नाम:- निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी (नैनीताल)

4.वन विभाग का नाम :-
1.पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी (0.32 हैक्टेयर)
2.हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी (0.14 हैक्टेयर)

5.प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है हाँ/नहीं

6.प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है हाँ/नहीं

7.क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -I, II,III, के सभी बिंदुओं की सूचना भरी गई है। हाँ/नहीं

8.क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। हाँ/नहीं

9.प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। हाँ/नहीं

10.प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण पत्र संलग्न है हाँ/नहीं

11.बाँज प्रजातियों वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। (बाँज प्रजाति के वृक्ष नहीं है) हाँ/नहीं

12.प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है

प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है जिनका पातन किया जाना आवश्यक है (सूची प्रस्ताव में संलग्न है)

(2)

13. समरेखन में आने वाले वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है
हाँ/नही

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है
हाँ/नही

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है
— उक्त प्रस्तावित हस्तान्तरित वन भूमि एक हैक्टर से कम है अतः दुगने क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण
आगणन आवश्यक नहीं है ।
हाँ/नही

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है — आवश्यकता नहीं है

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर / परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है
हाँ/नही

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है
हाँ/नही

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथीकोरी डोर का हिस्सा है
हाँ/नही

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है ।
हाँ/नही

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है नया प्रस्तावित है
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
उक्त सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्व में निर्मित मार्ग पर ही किया जा रहा है
हाँ/नही

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंग से भरा गया है ।
हाँ/नही

23. यदि सड़क का आरंभिक बिंदु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है
हाँ/नही

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ — हाँ/नही

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके
विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाए ।
हाँ/नही

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं ।
परियोजना हेतु उक्त समरेखण ही प्रथम एवं अन्तिम समरेखण है क्योंकि सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण
पूर्व निर्मित मार्ग पर किया जा रहा है अतः वैकल्पिक समरेखण का औचित्य ही नहीं है ।

(3)

परियोजना हेतु उक्त समरेखण ही प्रथम एवं अन्तिम समरेखण है क्योंकि सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण निर्मित मार्ग पर किया जा रहा है अतः वैकल्पिक समरेखण का औचित्य ही नहीं है परियोजना निर्माण से वर्षा काल में भी यातायात बाधित नहीं होगा स्थानीय जनता को प्रत्येक मोसम में सुविधा रहेगी ।

28.लागत लाभ विशलेषण मात्रामक रूप में प्रस्तुत है
(5 हैक्टेयर के प्रकरणों में लागू होगा)।

हाँ/नहीं ✓

29.मानचित्र व बार चार्ट में एक रुपता है ।

हाँ/नहीं ✓

30.मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है ।

हाँ/नहीं ✓

अथवा

मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है ।

हाँ/नहीं ✓

31.राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्तावों में संलग्न ।

हाँ/नहीं ✓

32.क्या प्रस्तावों में संलग्न प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित है ।

हाँ/नहीं ✓

33.यदि वन भूमि लीज पर है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

हाँ/नहीं ✓

34.वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है ।

हाँ/नहीं ✓

35.क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है ।

हाँ/नहीं ✓

36.क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है ।

हाँ/नहीं ✓

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फौक्ट सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया जाता है व सन्त प्रमाण पत्र व सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं

जिलाधिकारी
जिला प्रमुख, लो० नि० वि.
(अन्तर्गत) (मैनीटार)

प्रभाग प्रमुख
वर्ग १ पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वारी.

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.